

श्रीमान जी,


निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।



प्रार्थी श्री मोहन लाल पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूल रसीद गुम होने की एफ.आई.आर. नं. 10/2016 राजस्थान पुलिस, मुत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा पत्र, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे माता मीरा पत्नी बीरबल राम जाति जाट निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) ने दिनांक 16.02.2016 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। प्रार्थी की माता का देहान्त दिनांक 10.07.2018 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 16.02.2016 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को गवाहान इन्द्रजीत पुत्र ओम प्रकाश एवं अरविन्द सिहाग पुत्र ओमप्रकाश ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी द्वारा की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वसीयत खोले जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है


14/11/20

जिला पंजीयक महोदय

44